रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2546] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 2546] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

का.आ. 3227(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है और 22.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ;

और, अभयारण्य काले मृग, साही मछली, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, मुंसग गन्धबिलाव, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, भारतीय साही मछली, खरगोश, मोर को आश्रय देता है और अभयारण्य का मुख्य आकर्षण बन्दरों की अधिक जनसंख्या है ;

और, क्षेत्र की वनस्पति में झाड़ियों के जंगल, बाग-बगीचों के खण्ड और चरागाह अन्तर्विष्ट हैं और मुख्य वृक्षों की प्रजातियों में टेमेरिण्डस इंडिका, फकस रिलिजिओसा, फिकस, ग्लोमेराटा, डायोस्पाईरोस मेलानोजाइलोन, ऐनोना स्कोबामोसा, अजाडीरेका इंडिका, ग्लाइरीसिडिया सिपियम और चंदन अन्तर्विष्ट हैं ;

और, जबकि यह संरक्षण और येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र की रक्षा और उसके पर्यावरण के सुधार और विकास का प्रचार करने के लिए आवश्यक है ;

और, येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा 3 के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक विस्तारित क्षेत्र को येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 2.97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसका येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा ते 100 मीटर तक विस्तारित है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध–I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जलगांव जिलों के 11 गांवों में फैला हुआ है|

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची सहित समन्वयन प्रमुख बिन्दुओं के साथ **उपाबंध II** के रुप में संलग्न है।

का इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ सीमा विवरण क्रमश: **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र के साथ समन्वयन बिन्दु **उपाबंध III** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रुप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हो, का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

होंगे।

(3) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी|

(4) आंचलिक महायोजना, अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और कार्यकलापों को और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल बनाना का कारक बनेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को स्थानीय समुदायों के जीवकोपार्जन के पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 12,18,24,30 और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) वर्तमान सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुखसाधन |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारि-पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी आवास के अलावा येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और लोक समागम स्थलों के सन्निर्माण के लिए की अनुज्ञात नहीं होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी

द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां .–** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करें, कि स्थापन नहीं होगी |

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की सन्निर्माण हेतु जमीन की खुदाई या मकान की मरम्मत और निजी उपभोग के लिए घर की टाईलें और ईंटों के विनिर्माण के संदर्भ में घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिचाईं परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	ईंट का भट्टा ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	पोलट्री फार्म और अंडज उत्पत्तिशाला ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
11.	लकड़ी पर आधारित नए उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के अन्दर नए लकड़ी पर आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु यह कि नए लकड़ी पर आधारित उद्योग जो 100% आयातित लकड़ी भण्डार का उपयोग करते हैं, कि स्थापना हो सकती है ।
12.	होटल और लोक समागम स्थल की स्थापना	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी

	।	आवास के सिवाए संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर नया वाणिज्यिक होटल और लोक समागम स्थल अनुज्ञात नहीं होगा |
13.	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नया वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगा | परन्तु यह कि स्थानीय लोगों द्वारा अपनी भूमि पर उनके घरों में प्रयोग के लिए सन्निर्माण के साथ पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात होगा | (ख) समर्थ प्राधिकारी द्वारा, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, पूर्व अनुमति के साथ लघु उद्योग जो प्रदूषण कारित नहीं करते हैं, से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और जिन्हें कम से कम रखा जाएगा, यदि कोई हो । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में क्रियाकलाप आंचिलक महायोजना के अनुसार होंगे ।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना निदेश का अनुपालन किया जाएगा |
15.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
16.	विद्युत केबलों, और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबिल लगाने का संवर्धन।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं

		डालते हैं।
25.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	दुकानदारों द्वारा पोलीथीन थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	तथापि, इनमें से कुछ क्रियाकलापों के अत्यधिक विस्तार महायोजना के अनुसार होना चाहिए।
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	जिला कलक्टर, उस्मानाबाद	—अध्यक्ष;
(ख)	जिला परिषद् प्रतिनिधि, उस्मानाबाद	—सदस्य;
(ग)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि	—सदस्य;
(घ)	पारिस्थितिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र का महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ क्षेत्र के वरिष्ठ शहरी योजनाकार	—सदस्य;
(ड.)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य;
(च)	वरिष्ठ नगर योजना अधिकारी	—सदस्य;
(छ)	महाराष्ट्र सरकार के वन और पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि	—सदस्य;
(ज)	वन मण्डल अधिकारी, उस्मानाबाद	—सदस्य-सचिव।

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/11/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा का विवरण

दिशा	आवृत्त
पूर्व	उस्मानाबाद ताल्लुका जिला उस्मानाबाद का क्षेत्र
पश्चिम	बरशी ताल्लुका जिला उस्मानाबाद का क्षेत्र
उत्तर	कलंब ताल्लुका जिला उस्मानाबाद का क्षेत्र
दक्षिण	उस्मानाबाद ताल्लुका जिला उस्मानाबाद का क्षेत्र

उपाबंध II

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची

क्र.सं.	ताल्लुका का नाम	गांव का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	उस्मानाबाद	येदशी	75°57'41.657	18°19'11.870
2		कुमलवाड़ी	75°59'02.212	18°16'59.176
3		सोनेगांव	75°57'57.555	18°15'41.030
4		भनासगांव	75°56'39.787	18°16'10.395
5	कलंब	चोराखाली	75°55'08.895	18°20'44.884
6		वड़गांव	75°56'31.247	18°19'38.908
7	बरशी	घोलवेवाड़ी	75°55'02.213	18°17'19.379
8		ढेम्ब्रेवाड़ी	75°54'54.432	18°18'06.323
9		पंढारी	75°54'17.635	18°18'53.881
10		उक्कडगांव	75°53'55.194	18°19'52.519
11		कारी	75°55'26.981	18°16'24.268

उपाबंध – III

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र का निर्देशांक सहित मानचित्र

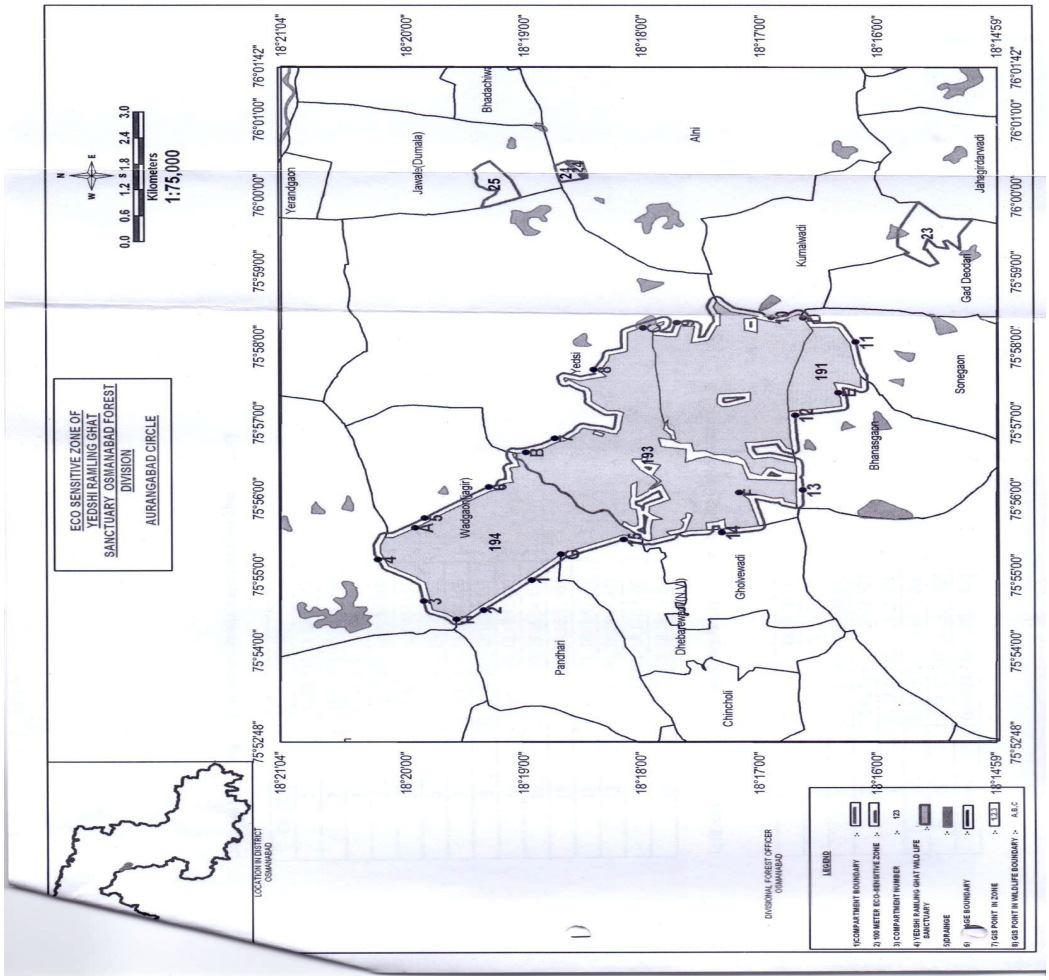

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश A ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.O. 3227(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Yedshi Ramling Ghat Wildlife Sanctuary (hereinafter referred to as the sanctuary) is situated in Osmanabad District of Maharashtra and extends over an area of 22.37 square kilometers;

And whereas, the Sanctuary harbours Black Buck, Porcupine, Hyena, Wild Pig, Palm Civet, Wolf, Jungle Cat, Fox, Indian Porcupine, Rabbit, Peacock and the main attraction of the Sanctuary is large populations of monkeys;

And whereas, the vegetation of area include shrub forests, plantation blocks and grasslands and the major tree species include *Tamarindus indica*, *Ficus religiosa*, *Ficus glomerata*, *Diospyros melanoxylon*, *Anona squamosa*, *Azadiracha indica*, *Glyrisidia Sepium* and Sandalwood;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Yedshi Ramling Ghat Wildlife Sanctuary and to propagate improvement and development of the environment thereof;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Yedshi Ramling Ghat Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 meters all around the boundary of Yedshi Ramling Ghat Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Yedshi Ramling Ghat Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 2.97 square kilometres with an extent of 100 metres all around the boundary of Yedshi Ramling Ghat Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 11 villages in Aurangabad and Jalgaon Districts in Mahashtra.

(3) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is annexed as **Annexure II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is annexed to this notification as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(ix) Maharashtra State Pollution Control Board,

(x) Irrigation,

(xi) Public Works Department, for integrating environmental and ecological considerations into it.

(3) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(4) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so such use of land or infrastructure or activities are prohibited under any law for the time being in force or unless prohibited under this notification: Provided that the Zonal Master Plan shall promote efficiently and eco-friendly improvement of all infrastructure and activities.

(5) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(7) The Zonal Master Plan shall ensure Eco-friendly development for securing livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constituted under paragraph 5, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity relating to tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Yedshi Ramling Ghat Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement the rules and regulations under the relevant Acts and rules made thereunder.

(12) **Industrial units.-**

(a) Establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution shall not be permitted within the proposed Eco-sensitive zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—**All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	Brick kilns	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10	Poultry farms and hatcheries	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
11	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood-based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100% imported wood stock
12	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.
13	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be

		permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed against serial number 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted, as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) The Working Plan prescriptions shall be followed. in case of reserve forests and protected forests.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Underground cabling shall be promoted.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Shall be regulated for commercial purpose.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and disposal of sludge or solid wastes, shall be in accordance with the applicable regulations.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
27	Use of polythene bags by shopkeepers	Regulated under applicable laws.
28	Drastic Change of agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Permitted activities		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Excessive expansion of some of these activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.

30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-

(1) The Central Government, hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) District Collector, Osmanabad- Chairman;
(b) A representative of Zilla Parishad, Osmanabad – Member;
(c) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case – Member;
(d) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case- Member;
(e) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, - Member;
(f) Senior Town Planning Officer - Member;
(g) A representative of Department of Forest and Environment, Government of Maharashtra – Member;
(h) Divisional Forest Officer, Osmanabad – Member Secretary

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/11/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Description of Boundaries of proposed ESZ

Direction	Bounded by
East	Area of Osmanabad Taluka of Dist. Osmanabad
West	Area of Barshi Taluka of Dist.Solapur.
North	Area of Kalamb Taluka of Dist. Osmanabad .
South	Area of Osmanabad Taluka Dist Osmanabad

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

Sr. No	Taluka name	Village Name	lat	Long
1	Osmanabad	Yedshi	75:57:41.657	18:19:11.870
2		Kumalwadi	75:59:02.212	18:16:59.176
3		Sonegaon	75:57:57.555	18:15:41.030
4		Bhanasgaon	75:56:39.787	18:16:10.395
5	Kalamb	Chorakhali	75:55:08.895	18:20:44.884
6		Wadgaon	75:56:31.247	18:19:38.908
7	Barshi	Gholvewadi	75:55:02.213	18:17:19.379
8		Dhembrewadi	75:54:54.432	18:18:06.323
9		Pandhari	75:54:17.635	18:18:53.881
10		Ukkadgaon	75:53:55.194	18:19:52.519
11		Kari	75:55:26.981	18:16:24.268

Annexure III

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates

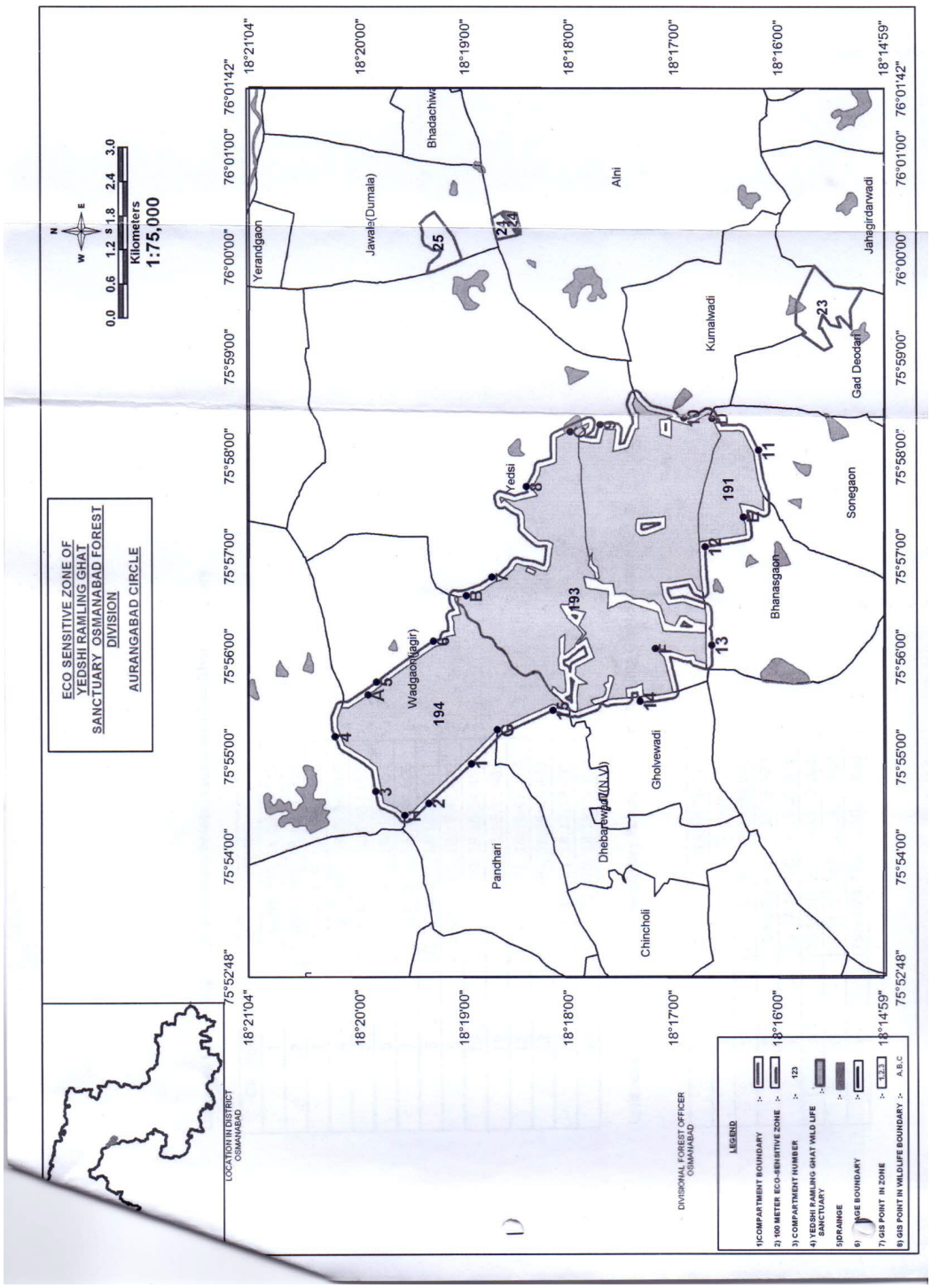

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
5. Details may be attached as Annexure
6. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006

   (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006
8. Details may be attached as separate Annexure.
9. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
10. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.